

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 602/2022
(I.A. NO. 45 & 46/2025)**

IN THE MATTER OF:

UTKARSH SINGH CHAUHAN

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.


...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 29.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 16.11.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 19.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 17.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF LETTER DATED 18.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	

8.	A COPY OF LETTER DATED 15.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF LETTER DATED 03.08.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	A COPY OF THE REPORTS FOR THE PAST 2 MONTHS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-9	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 24.02.2025

PLACE: NOIDA



IN THE MATTER OF:
UTKARSH SINGH CHAUHAN



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 602/2022
(I.A. NO. 45 & 46/2025)



...APPLICANT(s)

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 29.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Vishak G. aged about- 37 years, son of – S V Ganapathy Iyer, do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. I am the District Magistrate, Lucknow, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That it is pertinent to mention here that the matter in question for rejuvenation and development of the lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow, has been taken up with utmost sincerity and continuous, strenuous and meticulous efforts are being taken in order to ensure that diligent compliance is made to the orders passed by this Hon'ble Tribunal.



3. That in compliance of the order dated 19.11.2024 and 29.01.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the deponent sought the action taken report (ATR) from the concerned departments and the updated Action Taken Report (ATR). The ATR is as follows:

Removal of encroachment around the pond:- In compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal, the Sub Divisional Magistrate, Sarojini Nagar, Lucknow has taken the following action;

- a. That it is submitted that in compliance of the order dated 08.08.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, the re-survey of the Houses of the families was conducted, who are residing on the area of 3.1859 hectares out of the total area of 36.9090 hectares in Gata No. 268 situated at Village Gadhi Chunauti and in the said survey, a total of 115 houses / buildings were found constructed in which total 145 families are currently residing. It is further submitted that against the owners of the said 115 buildings / houses, under Section 67 of the UP Revenue Code, 2006, the Court of Tehsildar Sarojini Nagar and the Court of Tehsildar (Judicial) Sarojini Nagar have passed the eviction order on 30.04.2024, 03.09.2024 and 04.09.2024 but a government order dated 19.10.2023 has been issued by the Revenue Department, Section -2, Government of U.P. Lucknow with the direction that "अतिक्रमण हटायें जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथा सम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाये।" Therefore, the poor, landless and Scheduled Caste persons falling within the ambit of eligibility for housing allotment are required to be evicted only after rehabilitation.
- b. That it is submitted that the land of 0.2530 hectare of Gata No. 249 recorded as Naveen Parti, the land of 0.2530 Hectare of Gata No. 513 recorded as Usar, the land of 0.2620 hectare of Gata No. 565 recorded as Gram Samaj was identified for housing allotment to the total 129 identified families. Due to non-achievement of target for housing allotment in Tehsil Sarojininagar District Lucknow, the District Magistrate Lucknow sent a letter dated 18.10.2024 to Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh Section-5, Lucknow for approval of housing allotment target to 129 landless families proposed in accordance with the order of the Hon'ble Tribunal dated 08.08.2024. In furtherance of the aforesaid letter dated 18.10.2024, the following instructions were given by the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh Section-5, Lucknow vide letter dated 05.11.2024 that "...अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक आर - 434/जी-05-



09डी/2024 दिनांक 14.07.2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से सम्बंधित लक्ष्य प्रदान किये गए हैं। परन्तु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 129 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जा सकती है...।

- c. That it is submitted that the Sub Divisional Magistrate, Sarojini Nagar, Lucknow vide his letter dated 15.02.2025 has informed that on 29.01.2025, the Hon'ble Tribunal has issued the directions as follows:

"10. The intervener applicant- Sh Rampal, Sh. Chandra Shekhar and Sh. Ram Swaroop have filed I.A. No. 452025 for their impleadment as respondents on the grounds that out of 36.909 Hectare area of the "Chande Baba Talab", only 3.1859 Hectares are encroached upon by the raising of the construction of permanent and temporary houses. The houses were built and the occupants are residing on the land for the last several decades. Pursuant to orders passed by this Tribunal, the District Magistrate, Lucknow has initiated the process of removal of the encroachment. The Action Plan proposed in the joint inspection report dated 09.11.2022 and 30.12.2022 by the joint committee constituted by this Tribunal and its consequent execution by this Tribunal, arbitrarily displaces the Applicants from their homes, without providing them an opportunity to be heard. The applicants have sought hearing and adequate representation to ensure that their Fundamental Rights under the Constitution of India are not affected without following the due process of law."

"11. The above said applicants have also filed I.A. No. 46/2025 for urgent listing of O.A. No. 602/2022 and for deciding I.A. No. 45/2025 for their impleadment and interim relief."

"36. Arguments on I.A. No. 45 of 2025 qua interim injunctive relief will also be heard on that date."

"37. Till that date eviction of the applicants from the land alleged to have been encroached upon shall remain in abeyance."



It is obvious from the aforesaid order dated 29.01.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi that the Hon'ble Tribunal has stayed the proceedings of displacement of families residing over the pond land.

- d. That it is submitted that in respect of 16 ineligible persons, it is submitted that out of these 16 persons, 07 persons are government servant, 02 persons have made permanent construction at the encroachment site only for tying animals, 02 persons have built permanent house in the Gram Panchayat and there are 05 persons who have encroached upon the pond land by occupying partial portion of their house built on the abadi land. The list showing the separate details of each person are depicted herein below for kind perusal of this Hon'ble Tribunal:-

Sl. No.	Name of the owners	Name of Father /Husband	Caste	Occupation	Comment
1.	Vimal Rawat	Ram Shankar	Pasi (S.C.)	Govt. Servant	Service in ATS U.P. Police
2.	Chandrapal Rawat	Late Shyamlal	Pasi (S.C.)	Govt. Servant	Accountant (Internal Audit)
3.	Naresh	Piyare	Pasi (S.C.)	Govt. Servant	Working in Irrigation Department
4.	Siddhanath	Late Kallu	Nat (S.C.)	Govt. Servant	Fisheries Department
5.	Amrit Lal	Late Tiwari Lal	Pasi (S.C.)	Govt. Servant	Food & Civil Supplies
6.	Jitendra	Ram Khelawan	Pasi (S.C.)	Govt. Servant	Commando
7.	Malkhan Singh	Late Ram Karan Singh	Thakur (General)	Service	Home Guard
8.	Kallu	Adheen	Pasi (S.C.)	Labour	Having Pakka House in Gram Panchayat and tie animal over the encroached land.
9.	Sajivanlal	Adheen	Pasi	Labour	Having Pakka



					House in Gram Panchayat and tie animal over the encroached land.
10.	Kanhai	Late Putti	Lodhi (OBC)	Labour	Having Pakka House in Gram Panchayat
11.	Kamlesh	Buddha	Pasi (S.C)	Labour	Having Pakka House in Gram Panchayat
12.	Mohit Singh	Ram Kumar Singh	Thakur (General)	Farming & Private Job	Major part of House is built on Private Land and some portion of house is built on pond land.
13.	Arvind Kumar Singh	Ganga Baksh Singh	Thakur (General)	Former Director District Cooperative Bank	Major part of House is built on Private Land and some portion of house is built on pond land.
14.	Yadunath Singh	Ganga Prasad Singh	Thakur (General)	Retired General Secretary ONGC	Major part of House is built on Private Land and some portion of house is built on pond land.
15.	Vishvnath Pratap Singh	Yadunath Singh	Thakur (General)	Professor	Major part of House is built on Private Land and



					some portion of house is built on pond land.
16.	Rajendra Bahadur Singh	Shiv Bahadur Singh	Thakur (General)	Retired from Army (Pensioner)	Major part of House is built on Private Land and some portion of house is built on pond land.

It is further submitted that 07 plots have been identified for housing allotment to 121 families to be displaced and housing allotment file has been prepared in this regard.

A copy of letter dated 16.11.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-1.**

- e. That it is submitted that the information has been provided by the Project Director, District Rural Development Agency, Lucknow vide letter dated 19.02.2025 that the permission has been granted to approve 01 house each of 129 families under Mukhya Mantri Awas Yojana Gramin who are being displaced due to encroachment on Chande Baba Pond in Gram Panchayat-Garhi Chunauti, Block-Sarojininagar, District-Lucknow and in continuation of the above, for the rehabilitation of 129 families being displaced due to encroachment on Chande Baba pond, layout has been prepared for construction of houses, kitchen and toilets in 25 Sq.M. and under basic amenities, it is proposed to provide the benefits of approach road, drain, solar light, drinking water system and cattle shed as per eligibility from various items. Thus, allotment papers have been prepared by marking the site for allotment of housing land to a total of 121 families who are displaced and found eligible for rehabilitation and necessary permissions/formalities for housing allotment have been completed and the layout has also been prepared. Further, rehabilitation proceedings will be started accordingly in accordance with the order of the Hon'ble Tribunal.



A copy of letter dated 19.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2.**

ii. **Removal of Hyacinth:** That it is submitted that the report has been provided by the Block Development Officer, Sarojini Nagar, Lucknow vide his letter dated 17.02.2025 that the work of cleaning water hyacinth in the said pond was done by the Gram Panchayat and now the water hyacinth has grown again, therefore, the cleaning work is being done continuously and most of it has been cleaned. A copy of letter dated 17.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-3.**

iii. **Identification and taping of drains to curtail Pollution Source sat inlet:** According to the joint report of Consulting Engineer (SLWM), District Coordinator (SBM) and Block Development Officer, Sarojini Nagar, Lucknow, after conducting a spot inspection of Chande Baba pond and the settlements under it, an action plan was prepared by the committee for the management of both domestic water and rainwater coming out of the houses, under which sites were identified for construction of about 250 m paved drain, 12 soak pits and 03 silt catcher/filter chambers, in comparison to which, according to the report of Block Development Officer Sarojini Nagar and District Panchayat Raj Officer, Lucknow, till date 290 m drain construction, 14 soak pits construction and 03 silt catcher/filter chambers have been constructed respectively. The following works have been done for waste water management near the pond located under the Gram Panchayat:-

* For domestic waste water management – construction of drains, soakpits.

* For rain water management – construction of filter chamber, construction of silt catcher.

A. Drain construction work: Under the Gram Panchayat, the water coming out of the houses is managed through the construction of a concrete drain. The flowing water is properly managed. The work list is as follows:-

- a. Construction work of drain from Chandrika's house to the pond.
- b. Construction work of drain from Ram Prasad's house to the pond.
- c. Construction work of drain from Sunil's house to the pond.




B. Construction of soak pit: Construction of soak pit acts as a natural filter for the pollutants present in the wastewater. It helps in collecting and disposing the wastewater safely away from the house. The work list is as follows:-

1. Construction of soakpit near the house of Shri Ramesh son of Babulal.
2. Construction of soak pit near the house of Shri Malkhan son of late Ramkaran.
3. Construction of soakpit near the house of Shri Sunil son of Veerpal.
4. Construction of soakpit near the house of Shri Mukesh son of Chedu.
5. Construction of soakpit near the house of Shri Dinesh son of Babulal.
6. Construction of soakpit near the house of Shri Sandeep son of Rajaram.
7. Construction of soakpit near the house of Shri Buddhilal son of Tota.
8. Construction of soakpit near the house of Shri Vinod son of Ramdulare.
9. Construction of soakpit near the house of Shri Rampal son of Ramasare.
10. Construction of soakpit near the house of Shri Ravikant son of Rampal.
11. Construction of soakpit near the house of Smt. Savita wife of Vijay Pal.
12. Construction of soakpit near the house of Sri Veerpal, son of Late Babu Lal.
13. Construction of soakpit near the house of Sri Kailash son of Late Shikamal.
14. Construction of soakpit near the house of Sri Daya Shankar son of Late Ram Khelawan.

C. Silt Catcher/Filter Chamber Construction: For proper management of rainwater, the silt catcher is a silt preserving tank, which is built between the drains to temporarily keep the polluted water stagnant. It works by filtering the water by collecting the silt mixed with the polluted water at the bottom of the tank. Through this, the entry of silt/waste into the drainage system can be prevented.

The filter chamber is a chamber divided into three layers, in which the contaminated/waste water passes through the first chamber, gets filtered in the second chamber and comes out from the third chamber. The contaminated/waste water from the above gets filtered and enters the water system such as pond/river. The list of work is as follows;


1. Construction of drain/silt catcher from Dariyapur to Natkheda.
2. Construction of filter chamber near the culvert in Natkheda.



3. Construction of filter chamber near Chande Baba (WSP).

- iv. **Removal of Polluted Water from Pond:** That as per the joint report of Consulting Engineer (SLWM), District Coordinator (SBM) and Block Development Officer, Sarojini Nagar, a three layered waste stabilization pond has been constructed to prevent dirty water from drains falling into the pond. Under which an aerobic chamber has been constructed in the first layer, in which the silt mixed in the waste water is filtered through the sedimentation process. In the second layer/facultative part, which is an aerobic area due to the penetration of sunlight near the surface of the pond, which helps algae to produce oxygen and in the third layer/aerobic part, the waste water is finally completely purified by removing the remaining microbes and suspended solids through algae activity.


Under the Gram Panchayat, the water of Nat Basti and the water of Lodhi Basti come to the WSP through 100 mtr and 80 mtr long raw drains respectively. At present, there is no water in it and there is no flow in the water. It is also submitted that about 80% of the water of the above two colony absorbed/dried up before it reaches the WSP and at present, there is no water quantity in WSP. Most of the water coming out of the colonies is getting absorbed in the soak pits and some water flows out of the WSP and the said water gets absorbed/dried up in the 1050 mtr long drain before falling into the Nagwa drain/other water source. Thus, at present, no grey water is getting mixed either in the Chand Baba pond or from any other water source. Due to which, at present there does not any need for oxidation process in greywater and Before the rainy season, Kena plantation work will also be done in the WSP constructed for better waste water management of rain water.

 As per the aforesaid joint report, in the present circumstances, the water of the pond is getting polluted since last few years due to the contaminated water and waste materials generated from the domestic use of the families residing within the limits of the pond area. After rehabilitating all the 145 families and displacing them from the pond area, the problem of generation of polluted water/greywater in the pond area by the concerned families and pollution of the pond will automatically end.

A copy of the joint committee report is annexed herewith and marked as **Annexure-4.**

- v. **Rejuvenation/Beautification of the Pond:** It is submitted that for the rejuvenation, conservation and beautification of Chande Baba pond, which is 36.96 hectares, the Chief Development Officer, Lucknow for the study of the feasibility/possibility of water availability for pond filling and the catchment area of the pond vide letter dated 03.02.2025, a three-member committee of Assistant Engineer Irrigation, Minor Irrigation and Ground Water Department was constituted and a report was obtained and by studying the satellite data through remote sensing system also, an assessment of the actual form of the pond was obtained from Remote Sensing Applications Center, Uttar Pradesh.

The three-member committee of Assistant Engineer Irrigation, Minor Irrigation and Ground Water Department measured the depth of the pond at various places in its current form, on the basis of which about 90 to 95 percent of the pond's ground level was found to be completely covered, which is being used by the villagers for pasture, playground and transportation and an average of 0.30 m to 1.25m of water was found available in 1-1.5 hectare area. On enquiry from the villagers, the villagers told that the pond has never been filled in their lifetime, in the months of May, June the water remains only in about 01 hectare area towards the settlement and during the rains the water is spread over a maximum of 2-3 hectare area. The committee found out the elevation of the pond through Google Map, which is about 141.85 m. Elevation was found to be approximately 141.85 (+/-) 3 m at different places in the surrounding area of approximately 2-3 sq km. Due to the presence of Damar road (high elevation point) around the pond and Nagwa Nala (lower elevation point) at a distance of approximately 2 km from the pond, most of the area around the pond is not in the catchment area of the pond. It is clear from such a situation that there is no large clear catchment available for the large area of Chande Baba pond, which can fill the large area of the pond completely with rainwater alone. It is further submitted that to find out the status of water in the pond in the past years, satellite images of the pond in the previous years were seen in the years 1965, 2003, 2015, 2020, 2023 and 2024, in which it was clearly found that the said pond has never had water availability in more than 8 to 10 percent of its area. In this regard, the report sent by Remote Sensing Application Center, Uttar Pradesh was also reviewed, in which high resolution satellite data available from 1965 to 2024 has been studied and in the said study it has been found that in 2024, the water spread area is only on a maximum of 10.15 percent of the pond's land area. The committee has given its conclusion that due to the low



catchment area of Chande Baba pond, rainwater is very less to fill the pond completely and due to the elevation of Nagwa drain near the pond being less than the pond, it is not possible to fill the pond even in very small quantity through gravity flow from the drain. In the first phase, renovation work of partial land area of the pond can be done only on the basis of availability of water in the catchment area of about 03 hectares of the pond's water spread area, due to which there will be a possibility of rainwater coming into the constructed pond. In future, a work plan can be prepared for the restoration of the remaining land of the pond by doing a detailed study of water spread and water retention in the renovated land.

A copy of the joint committee report is annexed herewith and marked as **Annexure-5.**

In this regard, a report was also obtained from Remote Sensing Application Center, Uttar Pradesh. Remote Sensing has sent a report based on toposheet and satellite data through its letter dated 18.02.2025, from which the actual water spread of the pond from the year 1965 to the present year was assessed on the basis of toposheet number G44/14. The details are as follows:-

Year	Water spread area (HEC)	Water spread percentage
1965	3.37	9.37%
2003	1.09	3.03%
2006	1.38	3.84%
2010	0.45	1.25%
2012	0.53	1.47%
2014	1.74	4.84%
2015	2.29	6.37%
2018	1.03	2.86%
2021	2.43	6.76%
2022	2.56	7.12%
2024	3.65	10.15%



It is clear from the above that from 1965 to 2024, the area of water spread was found to be minimum 1.25 percent in 2010 and maximum 10.15 percent in 2024. The study of satellite data also reflects that during the years of study, water spread was never found in the entire area of Chande Baba pond.

A copy of letter dated 18.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-6.**


According to the reports of the above technical officers, due to the low catchment area of Chande Baba pond, the rainwater required to fill the pond

completely is very less and due to the elevation of Nagwa drain near the pond being less than the pond, it is not possible to fill the pond even in a small quantity through gravity flow from the drain. In the first phase, at present, based on the availability of water in the catchment area of about 03 hectares of the pond's water spread area, renovation work of a partial area of the pond can be done, due to which there will be a possibility of rainwater coming into the constructed pond. In future, a detailed study of water spread and water retention in the renovated area can be done and an action plan can be prepared for the renovation of the remaining land of the pond. In the last 50-60 years, on an average, only 2.50 to 3.50 hectare area of the pond has been found to be waterlogged. In this regard, the area of the pond which has been waterlogged will be excavated in the first phase and the work of renovation of the pond will be done through MNREGA scheme/convergence in an area of about 2.90 hectare. Executive Engineer, Minor Irrigation, Lucknow has been granted approval by the Chief Development Officer, Lucknow's work order number-220 dated-05.08.2024 in sequence with the approval of District Magistrate/District Program Coordinator, Lucknow dated 05.08.2024. The work of renovation/beautification of the pond is in progress, in relation to which partial work has been done. At present, waterlogging situation persists in some part of the proposed area. The work will be completed soon after the waterlogging ends or reduces. It is proposed to take further action based on the results of water dispersion and water retention obtained after the first phase of work.

Annexure-7

- vi. **Development of Green Belt:** Divisional Forest Officer, Avadh Forest Division, Lucknow had informed vide letter dated 10.02.2025 that for the protection of Chande Baba pond, the total of 1000 plants have been planted with iron tree guards as per environmentally friendly species, which is as follows:

Sl No.	Planted Species	Numbers of Plants
1.	Arjun	504
2.	Jamun	195
3.	Semal	185
4.	Kachnar	86
5.	Pipal	10
6.	Bargad	10
7.	Pakad	10
	Total	1000



It is submitted that the success rate of all the said planted plants is 100 percent. Similarly, Block Development Officer, Sarojininagar, Lucknow has also informed that under the MNREGA scheme, a total of 1300 plants have been planted in the years 2023-24 and 2024-25, which are currently in the form of alive.

A copy of letter dated 03.08.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure-8.**

- vii. **Water Monitoring of the Pond:** Regional Officer, Pollution Control Board Lucknow has informed vide letter dated 04.02.2025 that in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, the water of Chande Baba pond is being monitored on a monthly basis.

A copy of the reports for the past 2 months are annexed herewith and makred as **Annexure-9.**

4. That it is important to mention here that the efforts elaborated above clearly shows the intent for complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and to work towards preservation and development of such projects which help in conservation, protection, preservation and safeguarding the environment for a more sustainable growth.
5. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



~~DEPONENT~~

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 24 day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 5 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn and Verified
before me

24/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Enrollment No. 19943718

~~DEPONENT~~

I know & identify the deponent & declare
who has signed put his T.L. before me
32/4/25

140

खानगनक-01

प्रेषक,
उप जिलाधिकारी,
सरोजनीनगर, लखनऊ।

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद लखनऊ।

पत्रांक : 1122/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024

दिनांक : 16.11.2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में अद्यतन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम गढ़ी चुनौटी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 अधिकरण में सुनवाई दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है-

.....We find that substantial encroachment is still continuing and has not been removed.

Supreme Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and Ors. (2001) 6 SCC 496, observed that no encroachment of pond or water body can be allowed and it is responsibility of the State Authorities to ensure restoration of ponds to their original condition.

Therefore, removal of encroachment cannot be allowed to take a long time. District Magistrate is under obligation to take effective steps for removal of such encroachment.

Moreover, responsibility for maintenance of water body is also a statutory obligation of District Magistrate being Chairmen of District Wetland Committee as also Chairman of District Environment Committee.

A

With regard to discharge of effluent in the pond, we find that same is being diverted to another drain which is ultimately meeting river side and, therefore, virtually untreated sewage is being discharged in river side which ultimately meets River Gomti. This is wholly impermissible and prohibited under Section 24 of water (Prevention and Control of Pollution). Act, 1974.

Immediate steps shall be taken of treatment of effluent and no effluent untreated shall be allowed to be discharged in the river.

District Magistrate submitted that all steps will be taken for remediation of pond on various aspects mentioned in the affidavit dated 07-08-2024, the requests that some time may be allowed to him to achieve the target.

Let him take effective and remedial steps within three months and submit a Compliance Report.....

मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में ग्राम गद्दी चुनौटी की गाटा सं० 268 कुल रकबा 36.9090 हे० में से रकबा 3.1859 हे० पर आवासित परिवारों के मकानों का पुनः सर्वे कराया गया। उक्त सर्वे में कुल 115 मकान/भवन निर्मित पाये गये जिसमें कुल 145 परिवार वर्तमान में आवासित है। उक्त 115 भवन/मकान के स्वामियों के विरुद्ध उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार सरोजनीनगर व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 30.04.2024, 03.09.2024 व 04.09.2024 में बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है परन्तु शासनादेश संख्या: आई/41/420/2023 राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19.10.2023 में ".....अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी गरीब व्यक्ति तथा अन्य भूमिहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न होने पाये। यथा सम्भव उक्तवत वर्णित गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के बाद ही उनका बेदखल करने की कार्यवाही की जाये....." आदेशित किया गया है। अतः आवास आवंटन हेतु पात्रता की परिधि में आने वाले गरीब, भूमिहीन एवं अनुसूचित-जाति के व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने के पश्चात ही बेदखल किया जाना अपेक्षित है।

उक्त 145 परिवारों में से राजस्व विभाग द्वारा 121 परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन का लाभ पाने का पत्र पाया गया है तथा अन्य 24 परिवारों को सरकारी नौकरी होने अथवा ग्राम में आवास हेतु अन्य भूमि उपलब्ध होने या पूर्व में आवास आवंटन का लाभ पाने के कारण अपात्र पाया गया है। कुल चिन्हित 121 परिवारों को ग्राम गद्दी चुनौटी की गाटा सं० 249 में से रकबा 0.2530 हे० नवीन परती, गाटा सं० 513 में से रकबा 0.2530 हे० ऊसर व गाटा सं० 565 में से रकबा 0.2620 हे० ग्राम समाज की भूमि आवास आवंटन हेतु चिन्हित कर ली गयी। तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में आवास आवंटन हेतु लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र सं० 583/डीएलआरसी/एनजीटी/2024 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव,

L

राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-5, लखनऊ को माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुक्रम में प्रस्तावित 121 भूमिहीन परिवारों को आवास आवंटन लक्ष्य को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं० आर-619/5-ग०चु०(आ०आ०)/2024 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये- ".....अवगत कराना है कि परिषद पत्रांक-आर-434/जी-05-09डी/2024 दिनांक 14.07.2024, द्वारा सामान्य परिस्थितियों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आवंटनों से संबंधित लक्ष्य प्रदान किये गये हैं। परंतु उक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पुनर्वासन हेतु पात्र पाये गये 121 परिवारों को आवास आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जा सकती है.....।"

उक्त के क्रम में मा० अधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन में प्रस्तावित 121 भूमिहीन, गरीब/निर्धन परिवारों को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61-64 के अन्तर्गत आवास हेतु भूमि आवंटित किये जाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम गढी चुनौटी के सचिव/लेखपाल के द्वारा कार्यवाही/प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 08.11.2024 को बैठक हेतु सूचित किया गया लेकिन उक्त दिनांक पर अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। सचिव/लेखपाल द्वारा पुनः कार्यवाही/प्रस्ताव के लिये अध्यक्ष/सदस्यों को दिनांक 16.11.2024 को कार्यवाही/प्रस्ताव हेतु बैठक बुलाई गयी परन्तु अध्यक्ष/सदस्य नियत स्थान व समय पर उपस्थित नहीं आये। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवास आवंटन की कार्यवाही न किये जाने पर शासनादेश संख्या-221/एक-2021-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल 2021 व मा० अधिकरण के आदेश के अनुपालन में आवास हेतु भूमि आवंटन अपरिहार्य होने के कारण उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61-64 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा के आधार पर तालाब की भूमि पर बसे गरीब, निर्धन एवं भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास हेतु भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में अग्रिम नियत तिथि 19.11.2024 में अद्यतन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


16.11.24

उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदया, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, पिकप भवन,
विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ।

पत्रांक : 1621/र0का10/2024-25

दिनांक : 15.02.2025

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 602/2022 उत्कर्ष रिहि चौहान बनाग रेटेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के पत्र संख्या 570/डी0एल0आर0सी0/एन0जी0टी0/2025 दिनांक 05 फरवरी, 2025 का अवलोकन करने की कृपा करें, इसमें इस पत्र में प्रस्तर 3-1 अंकित किया गया है कि

"उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनी नगर पात्र 121 परिवारों को नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराये व अपात्र 16 व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट मा0 अधिकरण के आदेश के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।"

इसके अनुपालन में वांछित आख्या निम्नानुसार है:-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 का अंश इस प्रकार है:- "The intervenor applicants- Sh. Rampal, Sh. Chandra Shekhar and Sh. Ram Swaroop have filed I.A. No.45/2025 for their impleadment as respondents on the grounds that out of 36.909-Hectare area of the "Chande Baba Talab", only 3.1859 Hectares are encroached upon by the raising of the construction of permanent and temporary houses. The houses were built and the occupants are residing on the land for the last several decades. Pursuant to orders passed by this Tribunal, the District Magistrate, Lucknow has initiated the process of removal of the encroachments. The Action Plan proposed in the joint inspection report dated 09.11.2022 and 30.12.2022 by the joint committee constituted by this Tribunal and its consequent execution by this Tribunal, arbitrarily displaces the Applicants from their homes, without providing them an opportunity to be heard. The applicants have sought hearing and adequate representation to ensure that their Fundamental Rights under the Constitution of India are not affected without following the due process of law."

"The above said applicants have also filed I.A. No. 46/2025 for urgent listing of O.A. No. 602/2022 and for deciding I.A. No.45/2025 for their impleadment and interim relief."

"Arguments on I.A. No.45 of 2025 qua interim injunctive relief will also be heard on that date."

"Till that date eviction of the applicants from the land alleged to have been encroached upon shall remain in abeyance."

उक्त से स्पष्ट है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 29-01-2025 के अनुसार तालाब पर आवासित परिवारों के विस्थापन पर रोक लगा दी गई है।

2. अपात्र 16 व्यक्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन 16 व्यक्तियों में 07 व्यक्ति सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता सूची की परिधि में नहीं आते हैं, 02 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके द्वारा अतिक्रमण स्थल पर मात्र पशु बांधने हेतु स्थायी निर्माण किया गया है, 02 व्यक्तियों का ग्राम पंचायत में स्वयं का पक्का मकान बना है तथा 05 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके मकान आबादी भूमि पर


Sh. Rampal

बने हैं किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है। इसकी सूची तथा प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग विवरण इस आख्या के साथ संलग्न है।


3. इसके साथ ही अवगत कराना है कि विस्थापित किए जाने वाले 121 परिवारों के आवास आवंटन हेतु 07 गाटे चिन्हित कर लिये गये हैं व आवास आवंटन पत्रावली तैयार की जा चुकी है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार किता।



तहसीलदार,


सरोजनीनगर, लखनऊ।


15/2/25
उप जिलाधिकारी,
सरोजनीनगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर जिलाधिकारी-प्रशासन, महोदय, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार,
सरोजनीनगर, लखनऊ।


उप जिलाधिकारी,
सरोजनीनगर, लखनऊ।



गाटा सं०-268 / 36.9090 हे० (तालाव) से विस्थापित किये जाने वाले (16) परिवारों की सूची जो मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु आपत्र है।
ग्राम पंचायत-गादी चुनौटी विकास खाण्ड-सरोजनीनगर, लखनाऊ।

सर्वे क्रम सं०	मकान स्वामी का नाम	मकान स्वामी के पिता / पति का नाम	मकान में एक साथ निवास करने वाले सदस्यों की सं०	परिवार के सदस्यों का विवरण	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	उम्र	पेशा	जाति / उपजाति	आवास बनाने का स्त्रोत	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	विमल रावत	राम शंकर	3	विमल रावत ममता वाजिका	पुत्र पुत्रवधु पौत्री	25 20 6 माह	एटीएस यूपी में नौकरी	पासी (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
2	मन्मथल रावत	रम0 रघुमनाल	4	नीलम रावत अतिनाश रावत अभिषेक रावत	पत्नी पुत्री पुत्र	50 28 22 20	एकाउन्टेन्ट (आन्तरिक लेखा एवं आन्तरिक लेखा निदेशालय)	पासी (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
3	करुई	रम0 पुन्ती	0	यहां निवास नहीं करते हैं।	0	0	मजदूरी	लोथ (ओबी0सी0)	वर्ष 2012-13 में आवास प्राप्त	ग्राम पंचायत में स्वयं का पक्का मकान है।
4	कमलेश	हुडा	0	यहां निवास नहीं करते हैं।	0	0	मजदूरी	पासी (एस0सी0)	-	ग्राम पंचायत में स्वयं का पक्का मकान है।
5	नरेश	पिचारे	0	यहां निवास नहीं करते हैं।	0	0	स्वतंत्र व्यवसाय में व्यवसाय महा कि. सह. विभा. विभाग में संयोजी नौकरी करते हैं।	पासी (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
6	निदिनाथ	रम0 कररु	1	गुरदी	पत्नी	50	गल्लय विभाग (सरकारी नौकरी)	नट (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
7	कालू	अधीन	0	केवल पशुशाला बनाये हैं।	0	0	मजदूरी	पासी (एस0सी0)	-	ग्राम पंचायत में पक्का मकान बना है तथा अधिकतम स्वतः पर अपने पशु बांधते हैं।
8	सर्जान लाल	अधीन	0	केवल पशुशाला बनाये हैं।	0	0	मजदूरी	पासी (एस0सी0)	-	ग्राम पंचायत में पक्का मकान बना है तथा अधिकतम स्वतः पर अपने पशु बांधते हैं।
9	अनुर लाल	रम विवासी लाल	1	वीरू रानी आन्धा अनपरा	पत्नी पुत्री पुत्री	35 10 7	सरकारी नौकरी (खास एवं रसद विभाग)	पासी (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
10	वितेंद्र	राम खंलावन	4	शिली नलेसी सिंह अनप कुमार	पुत्रवधु पौत्री पौत्री	38 12 7	सरकारी नौकरी (कम्पाउंडी)	पासी (एस0सी0)	-	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।

विशेष नोट

क्र.सं.	मकान स्वामी का नाम	मकान स्वामी के पिता / पति का नाम	मकान में एक साथ निवास करने वाले सदस्यों की संख्या	परिवार के सदस्यों का विवरण	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	उम्र	पेशा	जाति / उपजाति	आवास बनाने का स्त्रोत	अभ्युक्ति
10			4	सुनिता आशुष प्रियंका धीनी आरती	पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	44 19 20 25 27	होमगार्ड है।	टाहकुर (सामान्य)	वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास (सुनिता पत्नी मलखान)	सरकारी नौकरी में होने के कारण पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
11	मलखान सिंह	स्व. राम करण सिंह	5	मिलाना अनीला कांछा जानकी	माता पत्नी पुत्र पुत्री	70 32 7 8	कृषि कार्य व प्राइवेट नौकरी	ठाहकुर (सामान्य)	-	मकान आबादी की भूमि पर बना है किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है।
12	मोहित सिंह	राम कुमार सिंह	4	सरोज सिंह शुभम चौहान	पत्नी पुत्र	54 26	पूर्व में डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक	ठाहकुर (सामान्य)	-	मकान आबादी की भूमि पर बना है किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है।
13	अश्विन्द कुमार सिंह	गंगा बख्शा सिंह	2	हरद प्रताप सिंह सैलवी सिंह अश्रुषम सिंह	पुत्र पुत्रवधु पुत्री	55 52 24	ओपरेशनरिओ जूनरल सेक्टर सेवानिवृत्त	ठाहकुर (सामान्य)	-	मकान आबादी की भूमि पर बना है किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है।
14	यदुनाथ सिंह	गंगा प्रसाद सिंह	4	नीला सिंह तान्या सिंह पवी सिंह	पुत्रवधु पुत्री पुत्री	38 9 6 माह	प्राइवेट	ठाहकुर (सामान्य)	-	मकान आबादी की भूमि पर बना है किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है।
15	शिवनाथ प्रताप सिंह	शुभनाथ सिंह	4	सरोज सिंह राजन सिंह काजल सिंह गोबू सिंह	पत्नी पुत्र पुत्री	50 26 24	सेना से रिटायर्ड पेंशनर	ठाहकुर (सामान्य)	-	मकान आबादी की भूमि पर बना है किन्तु मकान का आंशिक भाग तालाब की भूमि पर है।
16	राजेंद्र बहादुर सिंह	शिव बहादुर सिंह	4							

18/08/2020

सरोजनी नगर-लखनऊ।

उप जिलाधिकारी,
सरोजनी नगर-लखनऊ।

संलग्नक-02

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक-2869/मु.मं.आ.यो.-ग्रा./गढ़ी चुनौटी/2024-25 दिनांक: 19-02-2025

विषय: ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ में चोंदेबाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित हो रहे 129 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत के आवंटित आवासों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रस्तुत उप सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय पत्रांक 1/793508/38-4099(99)/144/2024 दिनांक 11.11.2024 जो आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित है, द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत निर्देश शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017 दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2(7.1) में विहित प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ में चोंदेबाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित हो रहे 129 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत एक-एक आवास स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त के क्रम में चोंदेबाबा तालाब पर अतिक्रमण से विस्थापित हो रहे 129 परिवारों के पुनर्वास हेतु 25 वर्ग मी0 में आवास, रसोईघर एवं शौचालय बनाये जाने हेतु ले-आउट तैयार कर लिया गया है।
संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
लखनऊ।

all
jay
2024

01

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA- GRAMIN

SAROJINI NAGAR
BLOCK



TYPE 01

GROUND FLOOR PLAN

02

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA- GRAMIN

GATA NO. 513
0.253 HECTARE

24



3D VIEW

03

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA- GRAMIN


GATA NO. 513
0.253 HECTARE



3D VIEW

● ●
TYPE 01
TOTAL NUMBER OF UNITS = 25

SITE PLAN




DYNAMIC ARCHITECTS
 1 972 111 0008 | 98009562501
 120/202, Vigneshwar Vihar, Sector-14, Gurgaon, Haryana

05

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA- GRAMIN

GATA NO. 513
0.253 HECTARE


27



3D VIEW



DYNAMIC ARCHITECTS
17231110008 | 88009562501
120482 Viharmani, Noida (Uttar Pradesh) India. Lucknow 226019



TYPE 02

GROUND FLOOR PLAN

DYNAMIC ARCHITECTS
 19721110008 | 88009562501
 1/6/2022 11:00:08 AM
 1/6/2022 11:00:08 AM

07

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA - GRAMIN

GATA NO. 249
0.253 HECTARE

29



3D VIEW

08

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA - GRAMIN

GATA NO. 249
0.253 HECTARE


3-6



3D VIEW

3)

- TYPE 02
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 22




SITE PLAN

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA- GRAMIN


32

GATA NO. 249
0.253 HECTARE



3D VIEW

33



- TYPE 02
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 23

SITE PLAN

12

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA - GRAMIN

34

GATA NO. 565
0.262 HECTARE




3D VIEW

14

MUKHYAMANTRI AWAS YOJANA - GRAMIN


GATA NO. 565
0.262 HECTARE

35



SITE PLAN

36




- TYPE 02
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 05

SITE PLAN


DYNAMIC ARCHITECTS
 19721110008 | 8900956250 |
 1, 2ND FLOOR, VISHVA VIKAS, SURINDER NAGAR, LALITPUR, DELHI

37




- TYPE 01
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 11

SITE PLAN



- TYPE 02
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 14

SITE PLAN



- TYPE 02
- TOTAL NUMBER OF UNITS = 21

SITE PLAN

DYNAMIC ARCHITECTS
 197211100008 | 88009562501
 120502, Vidyanagar, 7th Cross, Marathahalli, Bangalore - 560037



खण्ड-03,

40

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर-लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक 1993/मनरेगा/चां0ब0ता0/2024-25

दिनांक-17.02.2025

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के अनुपालन हेतु ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ की गाटा संख्या-268 रकबा 36.9090 तालाब की भूमि पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है-

क्र0	विन्दु	Concerning officer	कृत कार्यवाही
1	जलकुम्भी(हाइसिंथ) को हटाना(Removal of hyacinth)	मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर तालाब में जलकुम्भी की सफाई पूर्ण करवाकर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना।	ग्राम पंचायत द्वारा जलकुम्भी सफाई कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है तथा तालाब के अधिकतम भाग में सफाई करा ली गयी है। (फोटो संलग्न है)
2	नालियों की पहचान और टैपिंग-प्रदूषण के स्रोतों की जांच के लिए इनलेट (Identification and tapping of drain to)	मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर गंदा पानी तालाब में जाने से रोके जाने संबंधी वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना।	सामान्यतः चांदे बाबा तालाब के क्षेत्र में वर्षा का जल एवं तालाब के किनारे बसे परिवारों के घरों से निकलने वाला पानी तालाब में जाता था। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को तालाब में रोके जाने के सम्बंध में 14 सोख्ता गड्ढों का निर्माण करते हुये सोख्ता गड्ढे के माध्यम से घरों से निकलने वाले जल निकासी को सीधे तालाब में जाने से रोका गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है। 1-श्री संदीप पुत्र राजाराम के घर के पास 2-श्री बुद्धीलाल पुत्र तोता के घर के पास 3-श्री रमेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास 4-श्री दिनेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास 5-श्री मुकेश पुत्र छेदू के घर के पास 6-श्री पुषीत पुत्र वीरपाल के घर के पास 7-श्री मलखान पुत्र रामकरन के घर के पास 8-श्री सविता पुत्र विजयपाल के घर के पास 9-श्री विनोद पुत्र रामदुलारे के घर के पास 10-श्री रामपाल पुत्र रामदुलारे के घर के पास 11-श्री रविकांत पुत्र रामपाल के घर के पास 12-श्री वीरपाल पुत्र बाबूलाल के घर के पास 13-श्री कैलाश सिंह पुत्र स्व0 शिवकमल के घर के पास 14-श्री मिथुन पुत्र स्व0 शिवकमल के घर के पास उपरोक्त के अतिरिक्त जिन बस्तियों के पास से उनके घरों का पानी तालाब में जाता था उनकी नालियों को टैपिंग करते हुये सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के माध्यम से लगभग 200 मीटर की कच्ची नाली बनात हुये पानी को Three Layerd waste stablisation pond/waste stabiusaton pond के माध्यम से साफ करते हुये जल के अन्य स्रोत से मिलाया गया। चांदे बाबा तालाब के गाटा संख्या में कुल 145 परिवार आवासित है जिसके कारण घरेलू पानी/वेस्ट मटेरियल के कारण तालाब का पानी प्रदूषित होता रहा है। जब सभी 145 परिवारों को पुनर्वासित करते हुये तालाब के क्षेत्र से विस्थापित कर दिया जायेगा तो स्वतः ही प्रदूषित जल/ग्रे-वाटर की समस्या तालाब क्षेत्र में समाप्त हो जायेगी।

3	तालाब से प्रदुषित पानी को हटाना(Removel of polluted water from the pond)	मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर./उपायुक्त, मनरेगा तालाब में नालों से गिरने वाले गन्दा पानी की रोकथाम के सम्बंध में समुचित कार्य पूर्ण करवाकर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना।	तालाब में नालों से गिरने वाले गन्दे पानी की रोकथाम हेतु Three Layerd waste stabilistion pond/waste stabiusaton pond का निर्माण कराया गया जिससे ग्रे वाटर को शुद्ध करते हुये जल के अन्य स्रोत से मिलाया गया है। इस प्रकार कोई भी ग्रे वाटर तालाब के पानी में नहीं मिल रहा है। (फोटो संलग्न है)
---	--	---	---

अतः उक्त के क्रम में की गयी कार्यवाही से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर-लखनऊ।



खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर-लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।


प्रतिलिपि—उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ।


ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, लखनऊ।
चांदे बाबा तालाब से जलकुम्भी सफाई कार्य



ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, लखनऊ।
 श्री मुकेश पुत्र छेदू के घर के पास सोक पिट निर्माण








ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी(चांदे बाबा तालाब) विकास खण्ड-सरोजनीनगर, लखनऊ।

फिल्टर चेम्बर



ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, लखनऊ।

वाटर ट्रीटमेंट पॉण्ड निर्माण




चाँद बाबा तालाब के अन्तर्गत तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किये गये कार्यों का विवरण

उक्त के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण कर लगभग 250 मी० पक्की नाली निर्माण, 12 सोखता गड्ढा एवं 03 सिल्ट कैचर/फिल्टर चैम्बर हेतु स्थल चिन्हित किये गये थे, जिसके सापेक्ष अबतक क्रमशः 290 मी० नाली निर्माण, 14 सोखता गड्ढों का निर्माण एवं 03 सिल्ट कैचर/फिल्टर चैम्बर का निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत स्थिति तालाब के समीप अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु निम्न कार्य किये गये हैं-

- घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु- नाली निर्माण, सोखता गड्ढा निर्माण।
- वर्षा जल प्रबंधन हेतु- फिल्टर चैम्बर निर्माण, सिल्ट कैचर निर्माण।

क-नाली निर्माण कार्य:-ग्राम पंचायत के अन्तर्गत घरों से निकलने वाले पानी को पक्की नाली निर्माण के माध्यम से प्रबन्धित किया जाता है। नाली निर्माण से ग्राम पंचायत में जल जमाव की समस्या का निदान होता है व घरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल उचित माध्यम से प्रवाहित होता है।

- a- चन्द्रिका के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।
- b- राम प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।
- c- सुनील के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।





ख-सोखता गड्ढा निर्माण:-सोकपिट निर्माण के माध्यम से अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह अपशिष्ट जल को घर से दूर सुरक्षित रूप एकत्र करने व निस्तारित करने में मदद करता है।



सामुदायिक सोकपिट-

1. 1.7 मीटर जगह का चयन करें।
2. 1.7X1.25(चौ०ग०) मीटर गहरा गोल गड्ढा खोदे।
3. नीचे से पहला रद्दा 9 इंच की चिनाई में करें।
4. इसके बाद 4 इंच की गोल चिनाई करना है।
5. 3, 5,7,9, वें रद्दे में दो से तीन इंच चौड़े होल प्रत्येक 9 इंच के बाद करना है।
6. आखिरी रद्दे की चिनाई 09 इंच के खरंजे क साथ करनी है और उसके उपर 50 मिमी० मोटी डीपीसी डलनी है।
7. गड्ढे में 80,60,40,20 MM के अनुपात में फिल्टर मीडिया भरा जाना है। सोकपिट को कवर करने के लिए ढक्कन रखा जाना है। 0.5 X0.5 मीटर का सिल्ट चैम्बर गड्ढे से 01 मीटर की दूरी पर बनाया जायेगा।
8. सिल्ट चैम्बर और सोकपिट को जोड़ने के 04 इंच मोटा पीवीसी पाईप लगाया जायेगा, साथ ही पाईप के इनलेट पर जाली लगाना अनिवार्य है।



सोखता गढ़दे का कार्य / Mechanism of soakpit-


सामुदायिक सोकपिट का निर्माण घरेलू स्तर से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु किया जाता है। सामुदायिक सोकपिट यह तो हैण्डपम्प या फिर घरों से निकलने वाली नाली के आगे निर्मित सामुदायिक सोकपिट को चैम्बर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। जल स्रोत से अपशिष्ट जल चैम्बर के माध्यम से सामुदायिक सोकपिट में प्रवेश करता है। सामुदायिक सोकपिट में फिल्टर मीडिया का भराव किया जाता है जिससे विभिन्न आकार की गिट्टी आदि भरी जाती है। चैम्बर के माध्यम से अपशिष्ट जल सोखता गढ़दे में प्रवेश करता है व फिल्टर मीडिया से रिसता हुआ घरातल तक पहुंचता है। उक्त कार्य से अपशिष्ट जल का प्रबंधन किया जाता है। तथा दूषित जल का बहतर तौर से प्रबंधन किया जाता है।

सोखने वाले गढ़दे से पानी धीरे-धीरे आस-पास की मिट्टी में रिसता है, जहा यह प्राकृतिक रूप से फिल्टर और अवशोषित होता है। इससे भूजल स्तर को रीचार्ज करने और पानी के संचय को रोकने में मदद मिलती है।


1. श्री रमेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
2. श्री मलखान पुत्र स्व रामकरन के घर के पास सोक पिट निर्माण।
3. श्री सुनील पुत्र वीरपाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
4. श्री मुकेश पुत्र स्व0 छेदू के घर के पास सोकपिट निर्माण।
5. श्री दिनेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
6. श्री संदीप पुत्र राजाराम के घर के पास सोकपिट निर्माण।
7. श्री बुद्धीलाल पुत्र तोता के घर के पास सोकपिट निर्माण।
8. श्री विनोद पुत्र रामदुलारे के घर के पास सोकपिट निर्माण।
9. श्री रामपाल पुत्र प्रेमदुलारे के घर के पास सोकपिट निर्माण।
10. श्री रविकान्त पुत्र रामपाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
11. श्री सविता पत्नी विजयपाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
12. श्री वीरपाल पुत्र स्व0 बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
13. श्री कैलाश पुत्र स्व0 शिकमल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
14. श्री दया शंकर पुत्र स्व0 रामखेलावन के घर के पास सोकपिट निर्माण।



ग-सिल्ट कैचर/फिल्टर चैम्बर निर्माण:- वर्षा जल के उचित प्रबन्धन हेतु सिल्ट कैचर गाद संरक्षित करने वाला एक टैंक है, जो दूषित जल को अस्थायी रूप से स्थिर बनाये रखने के लिए नाली के बीच बनाया जाता है। ये दूषित पानी के साथ मिश्रित गाद को टैंक के तल पर एकत्रित करते हुये पानी को फिल्टर/छानने का कार्य करता है। जिसके द्वारा जल निकासी प्रणाली में गाद/अपशिष्ट के प्रवेश को रोका जा सकता है।





फिल्टर चैम्बर त्रिस्तरीय लेयर में विभाजित चैम्बर है, जिसमें दूषित/अपशिष्ट जल प्रथम चैम्बर से होते हुए द्वितीय चैम्बर में फिल्टर होते हुए तीसरे चैम्बर से बाहर निकलता है। उक्त से दूषित/अपशिष्ट जल फिल्टर होकर जल प्रणाली यथा-तालाब/नदी में प्रवेश करता है।




1. दरियापुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण/सिल्ट कैचर निर्माण।
2. नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण।
3. चौंदे बाबा (WSP) के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण।

वर्तमान परिस्थितियों में तालाब क्षेत्र की सीमा में आवासित परिवारों के घरेलू उपयोग से उत्पन्न दूषित जल एवं अपशिष्ट पदार्थों के कारण ही तालाब का जल विगत वर्षों से प्रदूषित होता रहा है, सभी 145 परिवारों को पुनर्वासित करते हुये तालाब के क्षेत्र से विस्थापित होने के उपरान्त संबंधित परिवारों द्वारा तालाब क्षेत्र में प्रदूषित जल/ग्रेवाटर के उत्पन्न होने एवं तालाब को प्रदूषित होने की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।


कल्सर्दिग इंजीनियर


जिला समन्वयक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्राO)


खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर।

5

चौदे बाबा तालाब के अन्तर्गत जल आपशिष्ट प्रयोजन हेतु कार्य

विकास एवं सरोजनीनगर लखनऊ

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	याजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य
1	ग्राम पंचायत में गाड़ी निष्काष करना	250m	ग्राम निधि
2	खिल्ट ड्रेज / खिल्ट ड्रेजर निष्काष कार्य	3	ग्राम निधि
3	संरक्षण ड्रड / खिल्ट ड्रेट निर्माण कार्य	12	ग्राम निधि

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी / संचालन

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी
खिल्ट ड्रेजर निष्काष कार्य
ग्राम पंचायत गढी चुनौटी

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी

सहायक विकास अधिकारी (वि.)

सरोजनीनगर लखनऊ



मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 544 दिनांक 03/02/2025 के क्रम में गठित समिति की चाँद बाबा तालाब के स्थलीय सत्यापन उपरांत निरीक्षण आख्या


मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पत्रांक 544 दिनांक 03/02/2025 द्वारा गठित 03 समिति द्वारा दिनांक 04/02/2025 को ग्राम गढ़ी चुनौटी, विकासखण्ड सरोजिनीनगर के चाँद बाबा तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर श्री स्पर्श अग्रवाल, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, श्री राहुल कुमार, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, श्री आदित्य पाण्डेय, सहायक अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, श्री अब्दुल कादिर अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य स्थानीय ग्रामवासी उपस्थित रहे। उक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य तालाब के जीर्णोद्धार कार्य की feasibility के सम्बन्ध में आख्या तैयार करना था।

सर्वप्रथम समिति द्वारा तालाब के वर्तमान स्वरूप में विभिन्न स्थानों पर तालाब की गहराई की माप की गयी। जिसके आधार पर सम्पूर्ण तालाब का लगभग 90-95% भूभाग पूर्णतया भूस्तर तक पटा हुआ है जिसका प्रयोग ग्रामवासियों द्वारा चरागाह, खेल का मैदान, आवगमन आदि कार्यों में लिया जा रहा है वर्तमान में तालाब के लगभग 1-1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औसत 0.30 मी से 1.25 मी तक पानी है। स्थानीय ग्रामवासियों से पूछने पर बताया गया कि तालाब उनके आयु काल में कभी भी भरा नहीं है, मई-जून में जल मात्र बस्ती की ओर लगभग 1 हे से भी कम क्षेत्रफल में वचता है एवं वर्षा के दौरान अधिकतम 2-3 हे तक फैला रहता है जिस भूभाग में नमी होने के कारण स्थल पर जलकुम्भी के अवशेष पाए गये तथा निरीक्षण के समय ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की साफ सफाई एवं जलकुम्भी की निकासी का कार्य प्रगति पर था।

उक्त के साथ ही तालाब का गूगल मैप के माध्यम से एलिवेशन भी ज्ञात किया गया जो लगभग 141.85 मीटर है। आस पास के लगभग 2-3 वर्ग किलोमीटर परिधि में भिन्न भिन्न स्थानों पर भी एलिवेशन (तालिका संलग्न) लगभग 141.85 (+/-) 3 मीटर तक ही पाया गया। तालाब के चारों ओर डामर रोड (high elevation point) होने तथा तालाब से लगभग 2 किमी की दूरी पर ही नगवा नाला (lower elevation point) होने के कारण से भी तालाब के आस पास का अधिकांश भाग तालाब के कैचमेंट में नहीं है ऐसी स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि चाँद बाबा तालाब के बृहद क्षेत्रफल हेतु कोई विशाल स्पष्ट कैचमेंट उपलब्ध नहीं है जो तालाब के 36.909 हेक्टेयर के वृहद क्षेत्रफल को मात्र वर्षा जल से पूरा भर सके। जिसकी पुष्टि उपस्थित ग्रामवासियों के साथ हुई चर्चा से भी हुई, जिसमें कई ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि यह तालाब जिस स्वरूप में आज है, लगभग इतने ही क्षेत्रफल में ही हमेशा जल रहता है।

तालाब में विगत वर्षों में जल की स्थिति का पता करने हेतु तालाब के पूर्व के वर्षों के स्वरूप की satellite images देखी गयी। वर्ष 1965, 2003, 2015, 2020, 2023 2024, वर्षों की सैटेलाइट के माध्यम से ली गई फोटोग्राफ्स निम्न हैं।





Sattelite images

उपरोक्त विगत वर्षों की फोटोग्राफ्स के अवलोकन एवं स्थानीय ग्रामवासियों से हुई वार्ता से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त तालाब में कभी भी लगभग 5-10% से अधिक क्षेत्रफल में जल उपलब्धता नहीं रही है।

उक्त के सम्बन्ध में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिसमें 1965 से 2024 तक उपलब्ध उच्च विभेदन क्षमता के सैटेलाइट डाटा का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि 2024 में तालाब के अधिकतम 10.15 प्रतिशत भू भाग पर ही जलफैलाव क्षेत्र रहा है।

निष्कर्ष : चाँद बाबा तालाब का कैचमेंट क्षेत्र न्यून होने के कारण तालाब को पूर्ण रूप से भरने हेतु वर्षा जल अत्यंत कम है तथा तालाब के निकटवर्ती नगवा नाले का elevation भी तालाब से कम होने के कारण नाले से ग्रेविटी फ्लो की माध्यम से तालाब को अति अल्प मात्रा में भी भरना सम्भव नहीं है। अतएव इसमें समिति की राय है कि प्रथम चरण में वर्तमान में तालाब के जलफैलाव क्षेत्र लगभग 03 हेक्टेयर में कैचमेंट क्षेत्र में


जल की उपलब्धता के आधार पर ही तालाब के आंशिक भूभाग का जीर्णोधार कार्य कराया जा सकता है जिससे निर्मित तालाब में वर्षा जल के आने की संभावना रहेगी। भविष्य में उक्त जीर्णोधार कराये गए भूभाग में जलफैलाव एवं जल प्रतिधारण (water retention) का विस्तृत अध्ययन कर तालाब के अवशेष भूभाग के जीर्णोधार हेतु कार्ययोजना तैयार की जा सकती है।



सहायक अभियंता
लघु सिंचाई,
लखनऊ



सहायक अभियंता
भूगर्भ जल विभाग,
लखनऊ



अधिशाषी अभियंता
सिंचाई खंड-02
लखनऊ

Details of co ordinates near by loaction of Chand Baba Pond


Chand baba Pond co-ordinate

Lattitude : 26.7155556
 Longitude 80.7977778
 Elevation : 141.85 m

Near by Co-ordinate Details

Sr. No	Ponit No.	Lattitude	Longitude	elevation/altitude (m)
1	1	26.7183333	80.79583333	142.19
2	2	26.7169444	80.79111111	143.73
3	3	26.7127778	80.79444444	144.69
4	4	26.7155556	80.79888889	139.5
5	5	26.7175000	80.79583333	141.9
6	6	26.7216667	80.79138889	140.75
7	7	26.7000000	80.78722222	144.3
8	8	26.7094444	80.78861111	140.25
9	9	26.7094444	80.79583333	143.3
10	10	26.7108333	80.80111111	144.44
11	11	26.7161111	80.80222222	140.91
12	12	26.7194444	80.80055556	141.29
13	13	26.7213889	80.80027778	139.98
14	14	26.7213889	80.79388889	141.72
15	15	26.7191667	80.78527778	141.65
16	16	26.7105556	80.78305556	142.98
17	17	26.7050000	80.79138889	143.18
18	18	26.7061111	80.79361111	142.53
19	19	26.7083333	80.7075000	142.33
20	20	26.7133333	80.8100000	140.72


 AEMI
 (Lko)


 AE, LWD
 (Lko)



कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।
पत्र प्राप्ति संख्या 9694
दिनांक 21-2-25

संलग्नक 06



रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेंटर,



उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या आर.एस.ए.सी./एल.यू.एस.डी./2025/4426

दिनांक: 18.02.2025

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

संदर्भ:- पत्रांक 543/ NGT चांदे बाबा तालाब-0180/2024-25 दिनांक 03 फरवरी, 2025।

महोदय,

आपके पत्रांक 543/ NGT चांदे बाबा तालाब-0180/2024-25 दिनांक 03 फरवरी, 2025 का सदर्थ ग्रहण करना चाहे, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, सरोजनीनगर में स्थित चांदे बाबा तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराते हुए संरक्षित किया जाना है, जिस हेतु सेटेलाइट डाटा आधारित रिपोर्ट की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट क्रमांक G44/14 को आधार मानकर वर्ष 1965 से वर्तमान वर्ष तक उपलब्ध उच्च विभेदन क्षमता के (High Resolution) सेटेलाइट डाटा का अध्ययन किया गया, जिसमें चांदे बाबा तालाब के कुल क्षेत्रफल लगभग 35.96 हेक्टेयर (टोपोशीट एवं सेटेलाइट डाटा आधारित) में वास्तविक जल फैलाव का वर्षवार आकलन किया गया, जिसका विस्तृत विवरण सम्बन्धित रिपोर्ट में संलग्न है।

उपरोक्त से अवगत होकर अग्रिम कार्यवाही करना चाहे।

संलग्नक: रिपोर्ट।

भवदीय

Signed by (शिल्धर सिंह यादव)

आई.ए.एस.

Shildhar Singh Yadav

Date: 18-02-2025 15:16:16

DC (L)

Jay

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

21-02-25

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त पत्र पत्रांक 543/NGT चांदे बाबा तालाब-0180/2024-25 दिनांक 03 फरवरी, 2025 के आधार पर चांदे बाबा तालाब ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, सरोजनीनगर, तहसील, लखनऊ जनपद में स्थित है, के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराकर संरक्षित किये जाने हेतु रिमोट सेन्सिंग आधारित रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट क्रमांक **G44/14** को आधार मानकर वर्ष 1965 से वर्तमान वर्ष तक उपलब्ध उच्च विभेदन क्षमता के (**High Resolution**) सेटेलाइट डाटा का अध्ययन किया गया, जिसमें चांदे बाबा तालाब के कुल क्षेत्रफल लगभग 37.86 हेक्टेयर (टोपोशीट एवं सेटेलाइट डाटा आधारित) में वास्तविक जल फैलाव का वर्षवार आकलन किया गया, जिसका विस्तृत विवरण तालिका संख्या में प्रस्तुत है-

तालिका संख्या-1

YEAR	Water Spread Area(HEC)	Water Spread Percentage
1965	3.37	9.37%
2003	1.09	3.03%
2006	1.38	3.84%
2010	0.45	1.25%
2012	0.53	1.47%
2014	1.74	4.84%
2015	2.29	6.37%
2018	1.03	2.86%
2021	2.43	6.76%
2022	2.56	7.12%
2024	3.65	10.15%

इसके अध्ययन से यह पाया गया कि वर्ष 1965 से वर्ष 2024 तक के वर्षों में जलफैलाव का क्षेत्र 1.25 प्रतिशत एवं 2010 में अधिकतम 10.15 प्रतिशत 2024 में पाया गया है, साथ ही सेटेलाइट डाटा के अध्ययन से यह भी परिलक्षित होता है कि अध्ययन के वर्षों के दौरान चांदे बाबा तालाब के पूर्ण क्षेत्रफल में कभी भी जल फैलाव (**Water Spread**) नहीं पाया गया है, सेटेलाइट डाटा आधारित **Plate no-1-**

CHANDBABA TALAB
Total Area - 35.96 Hectares (As per Satellite Data)



S.O.J Toposheet
Water Spread Area - 6.32 Hectares




Year 1985
Water Spread Area - 3.37 Hectares




Year 2003
Water Spread Area - 1.09 Hectares



Year 2006
Water Spread Area - 1.38 Hectares



Year 2010
Water Spread Area - 0.45 Hectares




Year 2012
Water Spread Area - 0.53 Hectares



Year 2014
Water Spread Area - 1.74 Hectares



Year 2015
Water Spread Area - 2.29 Hectares



Year 2016
Water Spread Area - 1.03 Hectares



Year 2021
Water Spread Area - 2.43 Hectares



Year 2022
Water Spread Area - 2.56 Hectares



Year 2024
Water Spread Area - 3.55 Hectares



प्रेषक,

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक 1026 / ल0सिं0 / तालाब निर्माण / 2024-25 दिनांक
महोदय,

15 फरवरी, 2025

आप द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में विकास खण्ड-सरोजनीनगर में चौद बाबा तालाब पर जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि से सम्बंधित कराये गये कार्यों के सम्बंध में आख्या चाही गयी है, जिसके क्रम में दिनांक 15.02.2025 को मेरे द्वारा चौद बाबा तालाब का निरीक्षण किया गया, तालाब के बस्ती की ओर गहरे भू-भाग में पानी भरा हुआ पाया गया, मौके पर तालाब से जलकुम्भी निकालने एवं तालाब की साफ-सफाई का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा था। जीर्णोद्धार हेतु पूर्व प्रस्तावित भू-भाग (2.96 हेक्टेयर) जिसमें वर्षाकाल में पानी भर जाता है में से लगभग 0.31 हेक्टेयर भू-भाग में पानी कम होने की दशा में तालाब के किनारे बने बन्धों का सुदृणीकरण, साफ-सफाई आदि यथा सम्भव कार्य कराये गये हैं, अवशेष भाग में पानी भरा होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है, अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर ही अन्य कार्य कराया जाना सम्भव हो पायेगा।


भवदीय,

(राहुल कुमार)

सहायक अभियन्ता(ल0सिं0)
जनपद-लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

✓ प्रतिलिपि:-उपायुक्त, श्रम रोजगार, (मनरेगा) लखनऊ।


सहायक अभियन्ता(ल0सिं0)
जनपद-लखनऊ।

-:कार्यादेश:-


जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, लखनऊ के अनुमोदन दिनांक 05.08.2024 के क्रम में ग्राम पंचायत-गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, लखनऊ में स्थिति चोंदे बाबा तालाब के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण हेतु सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक प्राक्कलन के क्रम में उक्त कार्य को कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय, लखनऊ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये कार्य की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में मनरेगा/कन्वर्जन्स के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को कार्यादेश निर्गत करते हुये आदेशित किया जाता है कि (एवं उक्त कार्य का विस्तृत प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति सहित अतिशीघ्र उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा), लखनऊ कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।) निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन कार्य कराना सुनिश्चित करें। विवरण एवं शर्तें निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	प्राक्कलन के अनुसार प्रस्तावित धनराशि (लाख में)	प्रथम किरत के रूप में 60 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि लाख में
1	चोंदे बाबा तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य।	गढ़ी चुनौटी	सरोजनीनगर	80.87	48.52
	योग			80.87	48.52

शर्तें:-

- स्वीकृत कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/प्रदेश सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों/शासनादेशों के अनुसार कार्य कराये जायेंगे। किसी भी दशा में योजना की गाइडलाइन का विचलन नहीं किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने तथा मध्य व अन्त में फोटोग्राफी अवश्य करायी जाये। जिसकी एक प्रति जिला कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी एवं एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली में रखी जाये।
- कार्य कराने हेतु आवश्यकतानुसार ई-मस्टर रोल कार्यदायी संस्था द्वारा जारी एवं भरे जायेंगे।
- स्वीकृति कार्य जिन ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित है, उन ग्राम पंचायतों के स्थानीय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों से ही कराया जायेगा तथा पंजीकृत श्रमिकों का अंकन जॉब कार्ड पर तथा जॉब कार्ड संख्या का अंकन मस्टर रोल पर किया जायेगा एवं मजदूरी का भुगतान मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित दर से श्रमिक के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से साप्ताहिक किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थल का निरीक्षण विभाग के सहायक अभियन्ता व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से कराना अनिवार्य होगा।
- कार्य ठेकेदारी प्रथा से कदापि नहीं कराये जायेंगे। स्वीकृत कार्य पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लेगी कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया हो एवं भारत सरकार/प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय की अन्य किसी योजना अंगीकृत/प्रस्तावित न हो। कार्य की डुप्लीकेसी पाये जाने पर प्रदत्त धनराशि मय ब्याज के कार्यदायी संस्था से वसूल की जायेगी साथ ही सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- मिटटी का कार्य शिडयुल्ड आफ रेट्स में अनुमन्त्र दरों के अनुसार ही कराया जायेगा।
- स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। इस वित्तीय वर्ष में धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग न करने एवं कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने की दशा में अवमुक्त की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्था के नामे अग्रिम माना जायेगा एवं किसी भी दशा में मूल्य वृद्धि हो जाने पर बढ़ी हुयी धनराशि देव न होगी।

10. स्वीकृत कार्यों पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मनरेगा मानक के अनुरूप नागरिक सूचना बोर्ड (सी0आई0वी0) लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें कार्य का विस्तृत विवरण का आलेख प्रस्तुत किया जाये।
 11. कार्य की प्रगति आख्या साप्ताहिक/पाक्षिक के साथ-साथ मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 25 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य समाप्ति पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/ मस्टर रोल एवं मापन-पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा।
 12. समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण आदि किये जाने पर कार्यदायी संस्था के अभियन्ता/उत्तरदायी अधिकारी सहयोग देंगे तथा सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करायेंगे तथा कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी।
 13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन/विचलन पाये जाने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि एकमुश्त वापस लेते हुये सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
 14. कार्य करारते समय कार्य की वीडियोग्राफी अवश्य करायी जाये एवं मनरेगा प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाये।
 15. सोशल ऑडिट कार्यक्रम के समय सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समस्त पत्रावलियों का अवलोकन कराया जाये।
 16. उक्त परियोजना विभाग द्वारा किये जा रहे नियमित अनुरक्षण कार्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
 17. कार्यदायी संस्था द्वारा भारत सरकार के मनरेगा सर्कुलर 2024-25 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सभी प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षण कर लिया जाए है तथा प्रस्तुत परियोजना में इसका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को कुल स्वीकृति धनराशि रू0 80.87 लाख के, सप्तेक्ष प्रथम किशत के रूप में 60 प्रतिशत रू0 48.52 लाख की धनराशि का भुगतान विभागीय कार्यालयध्यक्ष एवं लेखाकार के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 60 प्रतिशत धनराशि का उपभोग करने के पश्चात द्वितीय किशत की मांग प्रस्तुत करने हेतु उपभोग प्रमाण पत्र, स्थलीय सत्यापन आख्या (संयुक्त निरीक्षण ख0वि0अ0 एवं कार्यदायी) एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होंगे। उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। कृपया उक्त कार्य तत्काल प्रारम्भ कराकर धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक-220 / मनरेगा / NGA (बौदेबाबाता0) / पत्रा0सं0-0180 / 2023-24 दिनांक 25 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकारण, लखनऊ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई (कार्यदायी संस्था), लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को अवगतार्थ।
6. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ।
7. माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत लखनऊ।
8. प्रधान महालेखाकार सिविल आडिट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. मा0 सांसद, लखनऊ / मोहनलालगंज एवं सम्बन्धित माननीय विधानसभा सदस्यगण, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

संलग्नक-08

(3)
(20)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
पत्रांक- 74 /T. 435-1 लखनऊ, दिनांक, अगस्त 03, 2024.

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में "चौदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सिताम्बु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके आदेश पत्रांक संख्या-3296/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनके पत्रांक-489/35-1 दिनांक 01.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सिताम्बु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।


"चौदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति


अवध वन प्रभाग, लखनऊ के सरोजनीनगर रेंज अंतर्गत "चौदे बाबा का तालाब" गढ़ी चुनौटी लखनऊ में तालाब को वेटलैण्ड व पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास कराने हेतु डी0एफ0ओ0, लखनऊ द्वारा निरीक्षण करते हुए एक खुली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम, खण्ड विकास के अधिकारीगण व श्री उत्कर्ष सिंह चौहान सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। सभा में उपस्थित उक्त विभाग के समस्त अधिकारीगण से विचार-विमर्श कर संबंधित विभागों से तालाब के विकास हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण सत्र में 1000 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज ने अपने पत्रांक-227/29 दिनांक 12.10.2023 (संलग्नक-1) द्वारा अवगत कराया गया कि "चौदे बाबा का तालाब" में संबंधित विभागों एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष लिये गये निर्णय के अनुसार माह जुलाई, 2023 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या-3269/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 (संलग्नक-2) के क्रम में वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर ने अपने पत्रांक-266/35-1 दिनांक 31.10.2023 (संलग्नक-3) द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 1000 ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार पूर्ण कर लिया गया है-

क्र0सं0	आयरन ट्री-गार्ड में रोपित प्रजाति	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1	अर्जुन	504
2	जामुन	195
3	सेमल	185
4	कचनार	86
5	पीपल	10
6	बरगद	10
7	पाकड़	10
	योग:-	1000 पौधे

उक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज को इस कार्यालय के पत्रांक-54/टी0सी0/29-1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज के माध्यम से "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की कलर्ड फोटोग्राफ सहित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज ने अपने पत्रांक-889/35-1 दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक-4) द्वारा अवगत कराया गया है कि "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन रिधत (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आयरन ट्री-गार्ड में उपर्युक्त तालिका के अनुसार रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इस प्रकार खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।


(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।



Check In

Garhi Chunoti, Uttar Pradesh, India

Pq9R+JQ5, Garhi Chunoti, Uttar Pradesh 226401, India

Lat 26.718036°

Long 80.7938°

26/07/24 12:46 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

Garhi

संलग्नक- 8

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
 पत्रांक 489 / T.C / 35-1 लखनऊ, दिनांक, फरवरी, 19 2025.
 सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,
 (प्रशासन),
 लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Interlocutory Applications No. 45 & 46/2025 In Original Application No. 602/2022 Utkarsh Singh Chauhan Versus State of UP&Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 के संबंध में।
 संदर्भ:- आपका पत्रांक-664/ए०डी०एम० (ई०)/25 दिनांक 06.02.2025.

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 13.01.2023 को चांदे बाबा तालाब में क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ आयोजित खुली बैठक में वन विभाग द्वारा चांदे बाबा तालाब व आस-पास क्षेत्र में 1000 आयरन ट्री गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु आम सहमति से निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा दिनांक 01.05.2023 तक उपरोक्त स्थल पर कुल 350 विभिन्न प्रजातियों का रोपण करा दिया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज से प्राप्त आख्या के अनुसार अवशेष 650 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण कार्य वर्षाकाल माह जुलाई 2023 में पूर्ण करा लिया गया है।

दिनांक 13.01.2023 को चांदे बाबा तालाब में क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ आयोजित खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार वन विभाग द्वारा चांदे बाबा तालाब व आस-पास क्षेत्र में 1000 आयरन ट्री गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है (फोटोग्राफ संलग्न हैं)। विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र संख्या-74/टी०सी०/35-1 दिनांक 03.08.2024 को मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ को पृष्ठांकित किया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सितान्शु पाण्डेय)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संख्या 489 / T.C / 35-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संलग्नक-०९



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-30537664/CENTRAL/2025

Date:20/02/2025

- 1- **Sample Location:** Chande Baba Talab (West Side)
- 2- **District:** Lucknow
- 3- **Address:** vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar , Lucknow
- 4- **Sample Source:** Pond
- 5- **Type of sample :** Surface Water
- 6- **Sample Collected By :** Nimesh Dubey, LA
- 7- **Odour :** -
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Lit plastic jerrycan , 1 MPN & 1 DO glass bottle
- 9- **Date of Sample Collection :** 10/02/2025
- 10- **Analysis Indented by :** RO Lucknow
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 10/02/2025

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.43	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	30.0	5-10000 Hazen
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	72.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	678.0	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	750.0	5.0 -15000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	45000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	20000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	18.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	96.0	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	5.68	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Priya Pathak (SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
 Reeta
 Keshav
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by Reeta
 Keshav
 Date: 2025.02.20
 15:58:29 +05'30'

IMRAN
AHMAD KHAN
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed by
 IMRAN AHMAD KHAN
 Date: 2025.02.20
 15:58:43 +05'30'

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-30161197/CENTRAL/2025

Date:04/02/2025

- 1- **Sample Location:** Chande Baba Talab (West Side)
- 2- **District:** Lucknow
- 3- **Address:** vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar , Lucknow
- 4- **Sample Source:** Pond
- 5- **Type of sample :** Surface Water
- 6- **Sample Collected By :** Vivek Kumar Mishra, LA
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2, lit plastic jerrycan 1 DO bottle & 1 MPN Bottle
- 9- **Date of Sample Collection :** 24/01/2025
- 10- **Analysis Indented by :** RO Lucknow
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 24/01/2025

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.41	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	40	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	µS/cm	1312.0	0.1-10000 µS/cm
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	74.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	827.0	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	901.0	5.0 -15000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	54000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	24000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	26.6	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	112.0	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	6.12	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA), Iti Singh
(JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
 Reeta Keshav (ASO)

IMRAN
AHMAD KHAN
 Chief Environmental Officer
 Central Laboratory

Digitally signed by
 IMRAN AHMAD KHAN
 Date: 2025.02.04
 15:25:52 +05'30'

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>

REGIONAL OFFICE LUCKNOW
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
LUCKNOW

ANALYSIS REPORT SUMMARY OF CHANDE BABA TALAB

S.N.	NAME OF RIVER	SAMPLING POINT	DATE OF SAMPLE COLLECTION	PH	COLOUR (HAZEN)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	TS (mg/l)	DO (mg/l)	TC (MPN/100ml)	FC (MPN/100ml)	Remark
1	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	24-04-2024	6.69	40	21	64	58	814	872	2.87	490000	33000	
2	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	24-04-2024	6.87	40	24	78	64	898	962	2.1	110000	49000	
3	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	10-05-2024	7.73	-	16	72	62	1542	1604	3.42	460000	230000	
4	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	10-05-2024	7.71	-	20	84	66	1554	1620	3.11	140000	79000	
5	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	10-06-2024	7.82	40	23	81.36	68	1444	1512	2.85	1700000	79000	
6	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	10-06-2024	7.85	40	28	98.56	76	1236	1312	2.41	110000	68000	
7	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	16-07-2024	7.5	40	18	87.2	56	764	820	8.86	240000	92000	
8	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	16-07-2024	7.42	40	24	95.2	68	836	904	7.23	140000	78000	
9	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	27-08-2024	7.37	50	14	68	60	484	544	4.92	210000	78000	
10	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	27-08-2024	7.3	50	19	88	66	516	582	3.86	120000	68000	
11	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	20-09-2024	6.72	40	22	68	60	818	878	2.66	170000	78000	
12	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	20-09-2024	6.86	40	26	84	66	902	968	2.12	110000	68000	
13	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	08-10-2024	6.83	40	29.6	94	70	972	1042	1.94	93000	45000	
14	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	08-10-2024	6.89	40	26.8	82	64	896	960	2.1	140000	68000	
15	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	14-11-2024	7.67	40	18	58	62	800	862	8.27	140000	78000	
16	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	14-11-2024	7.64	40	22	76	68	870	938	7.93	94000	49000	
17	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	25-12-2024	7.72	40	20	62	68	802	870	7.92	120000	68000	
18	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	25-12-2024	7.68	40	24	82	72	878	950	7.88	92000	45000	
19	CHANDE BABA TALAB	EAST SIDE	24-01-2025	-	DRY	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	CHANDE BABA TALAB	WEST SIDE	24-01-2025	7.41	40	26.6	112	74	827	901	6.12	54000	24000	DRY

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking WaterSource without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less,pH between 6.5 and 8.5, Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less,pH between 6.5 and 8.5, Dissolved Oxygen 5mg/l or more, Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less,pH between 6 to 9, Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5, Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l Not Meeting A, B, C, D & E Criteria
	Below-E	